भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1216

(सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

गुजरात में सीएसआर निधि की उपयोगिता

1216. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में, विशेष रूप से दक्षिण गुजरात में उपयोग की गई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि की कुल राशि का जिला-बार ब्यौरा क्या है;
(ख) दक्षिण गुजरात के जनजातीय जिलों विशेष रूप से वलसाड-डांग में जनजातीय कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और डिजिटल प्रलेखन के लिए शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण गुजरात के उन जनजातीय कारीगरों की संख्या कितनी है जिन्होंने सीएसआर पहलों के तहत कौशल उन्नयन, आजीविका सहायता या प्रशिक्षण प्राप्त किया है; और
(घ) क्या सरकार का देश भर में जनजातीय और ग्रामीण विकास के प्रति सीएसआर के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश या एक समर्पित ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंगों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की अवधि के दौरान गुजरात में जिलेवार कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी का बोर्ड अपनी कारपोरेट सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उनके संबंध में निर्णय लेने, उनका कार्यान्वयन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। यह समिति कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार करती है तथा उसकी सिफारिश करती है, जिसमें अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों के अनुरूप कंपनी द्वारा की जाने वाली

गतिविधियों का उल्लेख होता है। अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के प्रथम परंतुक में यह उपबंध है कि कंपनी उस स्थानीय क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी, जहां वह परिचालन करती है। तथापि, स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी यह उपबंध केवल निदेशात्मक है, अनिवार्य प्रकृति का नहीं है। सरकार कंपनियों को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में अथवा किसी विशिष्ट कार्यकलाप पर व्यय करने के संबंध में कोई विशेष निदेश जारी नहीं करती है।

एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल सीएसआर व्यय से संबंधित सभी आंकड़े, जिनमें राज्यवार, वर्षवार, कंपनीवार तथा परियोजनावार विवरण सम्मिलित हैं, **www.csr.gov.in** पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के दौरान गुजरात में विकास क्षेत्रवार कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थीवार सीएसआर संबंधी आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

अनुलग्नक-I

27.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1216 के भाग (क) से संदर्भित वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक गुजरात में जिला-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	अहमदाबाद	836.10	784.94	1,545.78
2	अमरेली	12.60	20.11	27.02
3	आनंद	23.35	41.81	62.51
4	बनासकांठा	25.30	31.63	32.81
5	भरूच	136.40	125.20	135.20
6	भावनगर	86.63	104.12	113.54
7	बोटाद	0.51	0.74	-
8	छोटा उदयपुर	0.52	-	0.04
9	दाहोद	24.47	22.95	110.48
10	डांग	4.74	4.53	7.19
11	देवभूमि द्वारका	-	0.08	-
12	गांधीनगर	93.79	299.74	258.83
13	गिर सोमनाथ	-	0.01	35.39
14	जामनगर	28.49	206.21	864.25
15	जूनागढ़	13.25	17.76	37.93
16	कच्छ	82.90	94.73	129.42
17	खेड़ा	14.42	11.18	42.19
18	मेहसाणा	25.53	33.00	68.23
19	मोरबी	-	-	8.04
20	नर्मदा	10.00	25.75	28.40
21	नवसारी	5.31	12.01	24.32
22	पंच महल	32.62	30.07	41.95
23	पाटन	2.94	10.93	13.16
24	पोरबंदर	7.27	7.37	25.46
25	राजकोट	64.50	78.72	144.60
26	साबरकांठा	6.13	13.40	13.52
27	सूरत	153.95	177.76	299.02
28	सुरेंद्रनगर	18.08	8.70	12.37
29	तापी	-	-	14.15
30	वडोदरा	153.54	360.48	334.07
31	वलसाड	85.62	136.56	110.54
32	जिले जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं	117.74	119.65	8.70
	कुल	2,066.67	2,780.14	4,549.10

(31.03.2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक-II

27.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1216 के भाग (ख) से (घ) से संदर्भित
वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक गुजरात में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	कृषि वानिकी	10.13	14.31	14.98
2	पशु कल्याण	53.57	164.41	162.55
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं/आश्रित	1.00	0.82	1.15
4	कला और संस्कृति	21.85	30.71	67.72
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	40.68	25.43	73.51
6	शिक्षा	850.98	1,045.41	1,413.30
7	पर्यावरणीय स्थिरता	116.86	221.44	735.81
8	लैंगिक समानता	4.08	16.67	13.96
9	स्वास्थ्य देखभाल	511.10	471.08	851.64
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	98.83	335.39	175.71
11	गरीबी, भुखमरी उन्मूलन, कुपोषण	74.96	108.81	171.42
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	91.26	114.70	183.56
13	सुरक्षित पेयजल	8.03	7.52	15.80
14	स्वच्छता	10.86	12.00	20.40
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	8.17	17.67	22.85
16	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	22.17	6.81	4.82
17	अनाथालय की स्थापना	1.46	1.70	3.57
18	स्लम क्षेत्र विकास	1.02	3.01	1.03
19	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	20.00	14.75	17.24
20	विशेष शिक्षा	13.02	38.02	35.09
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	-	0.17	-
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	7.71	10.76	300.10
23	व्यावसायिक कौशल	61.17	38.49	202.30
24	महिला सशक्तिकरण	37.77	77.73	60.57
25	एनईसी/उल्लेख नहीं*	-	2.37	-
कुल		2,066.67	2,780.14	4,549.10

(31.03.2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*** कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों इंगित किए हैं जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**
